

क
2026

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। सायल अधिवक्ता उपस्थित आये।
सायल अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अवगत कराया
कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए
मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते विद्द्रो कर
मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं।
अतः मुकदमा नं. 184 / 2023 उनवानी भूरसिंह बनाम
मोती उर्फ मोतीराम व अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी
निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से
कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज मुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली